विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या : 1814/वि0स0/संसदीय/03(सं)/2022

प्रेषक,

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

सेवा में,

माननीय सदस्यगण,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

विधान भवन, लखनऊ।
दिनांक : 30 नवम्बर, 2022

महोदय/महोदया,

इस सचिवालय के परिपत्र संख्या : 1761/वि0स0/संसदीय/03(सं)/2022, दिनांक 18 नवम्बर, 2022 के क्रम में मुझे आपको यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि असरकारी सदस्यों के संकल्पों के लिये दिनांक 29 नवम्बर, 2022 को की गयी शलाका में सफल एवं माननीय अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा ग्राह्य किये गये निम्नलिखित असरकारी संकल्पों को सदन में प्रस्तुत किये जाने सम्बन्धी मदें उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 05 दिसम्बर, 2022 से प्रारम्भ हो रहे सत्र में असरकारी संकल्पों हेतु सदन की कार्य-सूची में यथासमय सम्मिलित की जायेंगी :-

क्रम-सं0	मा0 सदस्य का नाम	संकल्प
1	2	3
1	श्री बृजभूषण राजपूत	"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनहित में चरखारी (महोबा) में स्पोर्ट्स कालेज निर्मित कराया जाये।"
2	श्री जवाहर लाल राजपूत	"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में बिना कीटनाशक/रासायनिक खादों से उत्पादित उपज, फल, सब्जी, अनाज का उचित मूल्य किसानों को दिलाये जाने हेतु बुन्देलखण्ड की कृषि भूमि की उर्वरा शक्ति को देखते हुए क्षेत्र को प्राकृतिक खेती का हब बनाया जाये।"
3	डा0 सुरभी	"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद फर्रुखाबाद के विधान सभा क्षेत्र कायमगंज के अन्तर्गत ग्राम पंचायत शरीफपुर छिछनी, गुटैटी दक्षिण, भगवानपुर, वसोला तथा बांसखेड़ा का थाना क्षेत्र मिर्जापुर जनपद शाहजहांपुर से शमसाबाद जनपद फर्रुखाबाद में सम्बद्ध किया जाय।"

1	2	3
4	श्री मनोज पाण्डेय	"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार को औद्योगिक क्षेत्र की श्रेणी में सम्मिलित करते हुए विधान सभा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास कराया जाय।"
5	डा0 पल्लवी पटेल	"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद-कौशाम्बी के सिराथू विधान सभा क्षेत्र में एक महिला विश्वविद्यालय की स्थापना करायी जाय।"

भवदीय,

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव।

संख्या : 1814(1)/वि0स0/संसदीय/03(सं)/2022, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित :-

1-माननीय मुख्य मंत्री, उप मुख्य मंत्रीगण एवं समस्त मा0 मंत्री/राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)/राज्य मंत्री के निजी सचिवों को मा0 मुख्य मंत्री, उप मुख्य मंत्रीगण एवं समस्त मंत्री/राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)/राज्य मंत्री की सूचनार्थ,

2-माननीय संसदीय कार्य मंत्री के निजी सचिव को मा0 मंत्री की सूचनार्थ,

3-मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,

4-प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, संसदीय कार्य अनुभाग-1,

5-प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, विधायी अनुभाग-1,

6-अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, खेल/कृषि एवं विपणन/गृह/ऊर्जा/उच्च शिक्षा विभाग।

बृज भूषण दुबे,

विशेष सचिव।

पी0एस0यू0पी0-एल0 168 विधान सभा (314)-30-11-2022-500 प्रतियां (कम्प्यूटर)।

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या : **1761**/वि0स0/संसदीय/03(सं)/2022

लखनऊ : दिनांक **18 नवम्बर, 2022**

प्रेषक,

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

सेवा में,

माननीय सदस्यगण,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

महोदय/महोदया,

मुझे आपसे यह निवेदन करने का निदेश हुआ है कि इस सचिवालय की अधिसूचना संख्या : 1754/वि0स0/संसदीय/09(सं)/2022, दिनांक 18 नवम्बर, 2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश विधान सभा का वर्ष 2022 का तृतीय सत्र, दिनांक 05 दिसम्बर, 2022 से आहूत किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश (सोलहवां संस्करण) के निदेश संख्या-6 के अनुसार सत्र में उपलब्ध होने वाले प्रथम असरकारी दिवस को संकल्प तथा उसके बाद उपलब्ध होने वाले द्वितीय असरकारी दिवस को असरकारी विधेयक लिये जाने का प्राविधान है। इस प्रकार शुक्रवार, दिनांक 09 दिसम्बर, 2022 को उपलब्ध होने वाले प्रथम असरकारी दिवस को लिये जाने वाले संकल्पों हेतु शलाका माननीय अध्यक्ष, विधान सभा के आदेशानुसार निदेश संख्या-8 को शिथिल करते हुए मंगलवार, दिनांक 29 नवम्बर, 2022 को तथा दिनांक 16 दिसम्बर, 2022 को उपलब्ध होने वाले द्वितीय असरकारी दिवस को लिये जाने वाले असरकारी विधेयकों हेतु शलाका बुधवार, दिनांक 30 नवम्बर, 2022 को अपराह्न 4:30 बजे प्रमुख सचिव, विधान सभा के कार्यालय-कक्ष में की जायेगी। असरकारी संकल्पों/विधेयकों हेतु की जाने वाली शलाका के लिये सूचनाएं क्रमशः दिनांक 29 व 30 नवम्बर, 2022 को अपराह्न 4:00 बजे तक दी जा सकती हैं। शलाका के समय कोई भी माननीय सदस्य उपस्थित रह सकते हैं।

अतएव, आप यदि चाहें तो, अपने असरकारी संकल्प/विधेयक की सूचनाएं क्रमशः दिनांक 29 व 30 नवम्बर, 2022 को अपराह्न 4:00 बजे तक इस सचिवालय में दे सकते हैं। उक्त शलाका के लिये किसी सदस्य से प्राप्त एक से अधिक असरकारी संकल्प/विधेयक की सूचना ग्राह्य नहीं की जायेगी।

भवदीय,

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव।

संख्या : 1761(1)/वि0स0/संसदीय/03(सं)/2022, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि-प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, संसदीय कार्य अनुभाग-1 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

बृज भूषण दुबे,

विशेष सचिव।

पी0एस0यू0पी0-ए0-155 विधान सभा (295)-18-11-2022-500 प्रतियां (कम्प्यूटर)।